



भारत सरकार
Government of India

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR BACKWARD CLASSES

रा.पि.व.आ. अधिनियम, नियम
NCBC Act, Rules

त्रिकूट-1, भीकाजी कामा प्लेस,
Trikoort-I, Bhikaji Cama Place,
नई दिल्ली - 110066
New Delhi-110066

विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

विधायी विभाग

नई दिल्ली 2 अप्रैल 1993/चैत्र 12, 1915 (शक)

संसद के निम्नलिखित अधिनियम को राष्ट्रपति की सहमति 2 अप्रैल, 1993 को प्राप्त हुई है और एतद्द्वारा सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है : -

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 (1993 का संख्यांक 27)

(2 अप्रैल 1993)

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से भिन्न पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन करने और उससे संबंधित या उसके अनुषांगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के चवालीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : -

अध्याय-1

प्रारंभिक

1 . संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ -

- (1) यह अधिनियम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 कहलाया जाए ।
- (2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है ।
- (3) यह 1 फरवरी, 1993 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

2 . परिभाषाएं - इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

क) "पिछड़े वर्ग" से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से भिन्न, ऐसे पिछड़े हुए नागरिकों के वर्ग अभिप्रेत हैं जो केन्द्रीय सरकार द्वारा सूचियों में विनिर्दिष्ट किए जाएँ :

ख) "आयोग" से धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अभिप्रेत है ।

ग) "सूची" से ऐसी सूचियाँ अभिप्रेत हैं जो ऐसे पिछड़े हुए नागरिकों के वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व उस सरकार की राय में, भारत सरकार के और भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने के प्रयोजनों के लिए समय-समय पर भारत सरकार द्वारा तैयार की जाए ।

घ) "सदस्य" से आयोग का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अध्यक्ष है,

ङ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ।

अध्याय- 2

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

3. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन -

(1) केन्द्रीय सरकार, एक निकाय जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से ज्ञात होगा, इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और उन्हें सौंपे गए कार्यों का पालन करने के लिए गठन करेगी।

(2) आयोग निम्न लिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम निदेशित किए जाएँगे, अर्थात् -

(क) एक अध्यक्ष, जो उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है,

(ख) एक समाज विज्ञानी

(ग) दो ऐसे व्यक्ति, जिन्हें पिछड़े वर्गों से संबंधित मामलों का विशेष ज्ञान है, और

(घ) एक सदस्य-सचिव जो भारत सरकार में सचिव के पद पर केन्द्रीय सरकार का कोई अधिकारी है या रहा है।

4. अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें -

(1) प्रत्येक सदस्य, अपने पद ग्रहण की तारीख से, तीन वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करेगा।

2) सदस्य किसी भी समय केन्द्रीय सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य का पद त्याग सकेगा।

(3) केन्द्रीय सरकार किसी व्यक्ति को सदस्य के पद से हटा देगी यदि वह व्यक्ति -

(क) अनुन्योचित दिवालिया हो जाता है।

(ख) किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है और कारावास से दंडदिष्ट किया जाता है जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अक्षमता अन्तर्वलित है,

(ग) विकृत चरित्र का हो जाता है और किसी सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है,

(घ) कार्य करने से इंकार करता है या कार्य करने के लिए असमर्थ हो जाता है

(ङ) आयोग से अनुपस्थिति की इजाजत लिए बिना आयोग के लगातार तीन अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है, या

(च) केन्द्रीय सरकार की राय में अध्यक्ष या सदस्य के पद का ऐसा दुरुपयोग करता है जिसके कारण उस व्यक्ति का पद पर बने रहना पिछड़े वर्ग के हितों या लोकहित के लिए हानिकर हो गया है।

परन्तु इस खंड के अधीन कोई व्यक्ति तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उस व्यक्ति को उस मामले में सुनवाई का अवसर न दिया गया हो।

(4) उपधारा (2) के अधीन या अन्यथा होने वाली रिक्ति नए नाम निर्देशन द्वारा भरी जाएगी।

(5) अध्यक्ष और सदस्यों को देय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो विहित की जाए।

5. आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी -

(1) केन्द्रीय सरकार आयोग के लिए ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की व्यवस्था करेगी जो आयोग के कार्यों को दक्षतापूर्ण पालन करने के लिए आवश्यक हों।

(2) आयोग के प्रयोजन के लिए नियुक्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं।

6 . वेतन और भत्तों का अनुदानों में से भुगतान - अध्यक्ष और सदस्यों को देय वेतन और भत्तों का तथा प्रशासनिक व्ययों का, जिनके अंतर्गत धारा 5 में निर्दिष्ट अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के देय वेतन, भत्ते और पेंशन हैं, धारा 12 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से भुगतान किया जाएगा।

7 . रिक्तियों आदि से आयोग की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना - आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी कि आयोग में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है।

8 . प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना-

(1) आयोग का अधिवेशन, जब भी आवश्यकता हो, ऐसे समय और स्थान पर होगा जो अध्यक्ष ठीक समझे।

(2) आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगा।

(3) आयोग के सभी आदेश और निर्णय सदस्य-सचिव द्वारा या इससे निमित्त सदस्य-सचिव द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रभावित किए जाएंगे।

अध्याय 3

आयोग के कार्य और शक्तियाँ

9 . आयोग के कार्य -

(1) आयोग, नागरिकों के किसी वर्ग की सूची में पिछड़े वर्ग के रूप में सम्मिलित किए जाने के अनुरोधों की जाँच करेगा और ऐसी सूची में किसी पिछड़े वर्ग के अधिक सम्मिलित किए जाने या कम सम्मिलित किए जाने की शिकायतों की सुनवाई करेगा और केन्द्रीय सरकार को ऐसी राय देगा जो वह उचित समझे।

(2) आयोग की सलाह सामान्यतया केन्द्रीय सरकार पर आबध्यकर होगी।

10 . आयोग की शक्तियाँ- आयोग की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन अपने कृत्यों का पालन करते समय, और विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों के संबंध में वे सभी शक्तियाँ होंगी, जो वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को हैं, अर्थात् :

क) भारत के किसी भाग से किसी व्यक्ति को बुलाना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी जांच करना,

ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना,

ग) शपथपत्रों को साक्ष्य ग्रहण करना

घ) किसी न्यायालय और कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करना

ङ) साक्ष्यों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना, और

च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए

11 . सूचियों का केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षण -

(1) केन्द्रीय सरकार, ऐसी सूचियों में से ऐसे वर्गों को निकालने की दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग नहीं रह गए हैं या ऐसी सूचियों में नए पिछड़े वर्गों के सम्मिलित किए जाने के लिए, किसी भी समय पुनरीक्षण कर सकेगी तथा इस अधिनियम के प्रवृत्त होने से दस वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात दस वर्ष की प्रत्येक उत्तरवर्ती अवधि की समाप्ति पर पुनरीक्षण करेगी।

(2) केन्द्रीय सरकार उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई पुनरीक्षण करते समय, आयोग से परामर्श करेगी।

अध्याय 4
वित्त, लेखा और लेखा-परीक्षा

12 . केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान -

- (1) केन्द्रीय सरकार, संसद द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक विनियोग के पश्चात आयोग को अनुदानों के रूप में ऐसी धनराशियों का भुगतान करेगी जो केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए ठीक समझे।
- (2) आयोग इस अधिनियम के अधीन कार्यों का पालन करने के लिए ऐसी धनराशि खर्च कर सकेगा जो वह ठीक समझे और वह धनराशि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से देय व्यय मानी जाएगी।

13 . लेखा और लेखा परीक्षा -

- (1) आयोग, उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्रारूप में तैयार करेगा, जो केन्द्रीय सरकार, भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक से परामर्श करके विहित करे।
- (2) आयोग के लेखाओं की लेखा परीक्षा, नियंत्रक-महालेखा-परीक्षा द्वारा ऐसे अन्तरालों पर जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएँ, की जाएगी और ऐसी लेखा परीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय, आयोग द्वारा नियंत्रक-महालेखा परीक्षक को देय होगा।
- (3) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के और उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन आयोग के लेखाओं की लेखा परीक्षा के संबंध में नियुक्त किसी व्यक्ति को ऐसी लेखा परीक्षा के संबंध में वही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे, जो नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के साधारणतया सरकारी लेखाओं की लेखा-परीक्षा के संबंध में हैं और उसे विशिष्टतया बहियों, लेखाओं, संबंधित वाउचरों तथा अन्य दस्तावेजों और कागज-पत्रों के पेश किए जाने की मांग करने और आयोग के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

14 . वार्षिक रिपोर्ट - आयोग, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे प्रारूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों का पूरा विवरण होगा और उसकी एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजेगा।

15 . वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षा रिपोर्ट का संसद के समक्ष रखा जाना - केन्द्रीय सरकार वार्षिक रिपोर्ट और साथ ही धारा 9 के अधीन आयोग द्वारा दी गई सलाह पर की गई कार्रवाई का, और यदि ऐसी सलाह अस्वीकृत हो गई है तो अस्वीकृति के कारणों का ज्ञापन तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट उनके प्राप्त होने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

अध्याय 5

विविध

16 . आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना - आयोग का अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारी भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझे जाएँगे।

17 . नियम बनाने की शक्ति-

(1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।

(2) विशिष्टता, और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :

क) धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों को और धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें।

ख) वह प्ररूप जिसमें लेखाओं का वार्षिक विवरण धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया जाएगा।

ग) वह प्ररूप जिसमें, और वह समय जब धारा 14 के अधीन वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

घ) कोई अन्य विषय जिसका विहित किया जाना अपेक्षित है या जो विहित किया जाए।

(3) अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात, यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुकमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुकमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात वह ऐसे परिवर्तित रूप में प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

18 . कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति -

(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परन्तु ऐसे कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

19 . निरसन और व्यावृत्ति-

(1) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, 1993 (1993 का अध्यादेश संख्यांक 23) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

के० एल० मोहनपुरिया
सचिव, भारत सरकार

कल्याण मंत्राय
नई दिल्ली, 13 फरवरी, 1996

सा. का. नि. 100 (अ).- केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 (1993 का 27) की धारा 17 की उपधारा (2) (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (अध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तें) नियम, 1996 है।
2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा उपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 (1993 का 27) अभिप्रेत है।

(ख) "आयोग" से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अभिप्रेत है।

(ग) "अध्यक्ष" से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) (क) के अधीन नामनिर्दिष्ट आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है।

(घ) "सदस्य" से आयोग का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी है।

(ङ) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम उन्हें समनुदिष्ट हैं।

3. वेतन और भत्ते

1. अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तथा अनुज्ञेय वेतन का हकदार होगा किन्तु यह उस अध्यक्ष द्वारा पहले धारित पद पर निर्भर करेगा।
2. अध्यक्ष से भिन्न प्रत्येक सदस्य ऐसे वेतन का हकदार होगा जो सचिव, भारत सरकार को अनुज्ञेय हो।

4. रैंक और प्रास्थिति:- अध्यक्ष का रैंक, उसके द्वारा पहले धारित पद पर निर्भर करते हुए उसके मामले में यथा सुसंगत उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का होगा। अन्य सदस्य, सचिव, भारत सरकार की प्रास्थिति के होंगे।

5. सत्कार भत्ता:- अध्यक्ष, समय-समय पर यथा पुनरीक्षित उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीश की हकदारी के अनुसार सत्कार भत्ते का हकदार होगा।

6. सदस्य के रूप में नियुक्ति पर मूल सेवा से सेवानियुक्ति - सदस्य, जो आयोग में अपनी नियुक्ति की तारीख को, केंद्रीय या राज्य सरकार की सेवा में था, आयोग के सदस्य के रूप में अपनी नियुक्ति की तारीख से ऐसी सेवा से सेवा निवृत्त समझा जाये।

7. छुट्टी :- अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य निम्नलिखित छुट्टी के हकदार होंगे:-

समय-समय पर यथा संशोधित केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के अनुसार-

(क) उपार्जित छुट्टी, अर्द्ध वेतन छुट्टी और परिवर्तित छुट्टी।

(ख) समय-समय पर यथा संशोधित केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के अधीन अस्थायी सरकारी सेवकों को यथा अनुज्ञेय असाधारण छुट्टी।

8. पेंशन-

(1) अध्यक्ष या कोई सदस्य, जो इस रूप में अपनी नियुक्ति के समय केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की सेवा में था, अपने विकल्प पर जो नियुक्ति की तारीख से छः मास की अवधि के भीतर या जब तक वह अधिवाषिर्ता की आयु प्राप्त करता है, जो भी पूर्वतर है प्रयोग किया जायेगा जिस सेवा से वह संबंधित है उसकी लागू नियमों के अनुसार (यथास्थिति) अध्यक्ष या सदस्य के रूप में अपनी नियुक्ति की तारीख से अपनी पेंशन और अन्य सेवा नियुक्ति फायदे लेने के हकदार होंगे।

परन्तु यह कि ऐसी दशा, में अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके वेतन में से वह रकम घटा दी जायेगी, जो उसकी सकल पेंशन, जिसके पेंशन का वह भाग भी है जो संराशित किया गया हो तथा अन्य सेवानिवृत्ति फायदों के समतुल्य हो। वह उसकी पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति फायदे पृथक-पृथक लेने का हकदार होगा।

(2) अध्यक्ष या कोई सदस्य जो अपनी नियुक्ति के समय केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की सेवा में था, यदि उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट विकल्प का प्रयोग नहीं करता है तो ऐसी नियुक्ति से ठीक पहले जिस सेवा से वह संबंध रखता था उसको लागू होने वाले नियमों के अधीन पेंशन और सेवानिवृत्ति कायदों के लिए अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसकी सेवा गिनी जायेगी।

(3) अध्यक्ष या ऐसे सदस्य को जो अध्यक्ष या एक सदस्य के रूप में पदधारण करने से पहले, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की सेवा में था, कोई पेंशन संदेय नहीं होगी।

9. भविष्य निधि :-

(1) अध्यक्ष या कोई सदस्य जो आयोग में अपनी नियुक्ति की तारीख को केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की सेवा में था और जिसे साधारण भविष्य निधि या अभिदायी भविष्य निधि के फायदों में सम्मिलित किया गया था उस निधि में उस तारीख तक अंशदान कर सकता है जब तक कि उसकी सेवा में उसको लागू होने वाले नियमों के अनुसार तह सेवनिवृत्त होता अभिदायी भविष्य निधि की दशा में, नियोक्ता का उस निधि में संदेय अभिदान आयोग में अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति की तारीख से उन परिलब्धियों के आधार पर आयोग द्वारा संदेय होगा जिसे नियुक्ति के ठीक पहले धारित पद पर वह आहरित करता।

स्पष्टीकरण:- इस उपनियम के अधीन अपने विकल्प का प्रयोग करने वाले सदस्य अपना विकल्प लिखित में केन्द्रीय सरकार को, अपनी नियुक्ति के छह मास के भीतर सूचित करेंगे और प्रयोग किया गया विकल्प अंतिम होगा।

(2)¹ अध्यक्ष या कोई सदस्य जो ऐसे सदस्य के रूप में अपनी नियुक्ति के समय,

- (i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की सेवा में था और ऐसी नियुक्ति से पूर्व जिस सेवा से वह संबंध रखता था उसको लागू होने वाले नियमों के अधीन अपने पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति फायदों को आहरित करने के लिए उसने विकल्प दिया था; या
- (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, किसी स्थानीय निकाय या सरकार के पूर्णतः या सारतः स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी अन्य प्राधिकरण के अधीन सेवा से सेवानिवृत्त हो गया था; या
- (iii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय निकाय या सरकार के पूर्णतः या सारतः स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी अन्य प्राधिकरण के अधीन सेवा में नहीं था;

वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) द्वारा का.ज्ञा. सं. 1(टी)(2)/2003/टीए/19, तारीख 14 जनवरी, 2004 और 4 फरवरी, 2004 द्वारा लागू नई पेंशन स्कीम के फायदों को स्वीकार करने का हकदार होगा।

10. अवशिष्ट उपबंध :-

- (1) अध्यक्ष की सेवा की शर्तें जिसके लिये इन नियमों से कोई स्पष्ट उपबन्ध नहीं बनाये गये हैं निम्नलिखित होंगे:-
- (क) उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीश की अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की दशा में यथास्थिति उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीश को जो अनुज्ञेय हो; और
- (ख) उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की दशा में वही होगी जो वेतन नियतन से संबंधित सरकार के आदेशों के अधीन अनुज्ञेय हो और समय-समय पर यथा संशोधित ऐसे अन्य निबन्धनों आयोग/जांच आयोग में उनकी नियुक्ति पर सेवा निवृत्त न्यायाधीशों को अनुज्ञेय हो।
- (2) ऐसे सदस्यों की सेवा की शर्तें जिनके लिये इन नियमों में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं बनाये गये हैं वे होगी जो समय-समय पर सचिव, भारत सरकार को लागू होंगे।

[सं.12011/62/93-बी.सी.सी]
एम. एस. अहमद, संयुक्त सचिव

¹राजपत्र जीएसआर 734 (अ) फाइल संख्या 12015/10/2010-बीसी-11 दिनांक 12.11.2013- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (अध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 2013 द्वारा संशोधित किया गया)

**राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
सलाह के पुनर्विलोकन की शक्ति
अधिसूचना
(3 मई, 2011)**

सा. का. नि. 360(अ).- केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 (1993 का 27) की धारा 17 के साथ पठित धारा 10 के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (सलाह के पुनर्विलोकन की शक्ति) नियम, 211 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

- (क) "अधिनियम" से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 (1993 का 27) अभिप्रेत है।
- (ख) "आयोग" से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अभिप्रेत है।
- (ग) "पुनर्विलोकन" से इन नियमों के नियम 3 के अनुसरण में किया गया कोई पुनर्विलोकन अभिप्रेत है।
- (घ) शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।

3. केन्द्रीय सरकार को दी गई सलाह के पुनर्विलोकन की शक्ति- धारा 10 के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आयोग की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को दी गई किसी सलाह के पुनर्विलोकन की शक्ति होगी।

4. पुनर्विलोकन पर सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के कतिपय उपबंधों का लागू होना- सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का 5) की धारा 114 और आदेश 47 के उपबंध आयोग द्वारा किए गए किसी पुनर्विलोकन को आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

[सं.12011/9/2007-बीसीसी]
पी. पी. मित्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS
(Legislative Department)

New Delhi, the 2nd April, 1993/Chaitra 12, 1915 (Saka)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 2nd April, 1993, and is hereby published for general information :—

THE NATIONAL COMMISSION FOR BACKWARD CLASSES ACT, 1993
No.27 of 1993

[2nd April, 1993]

An Act to constitute a National Commission for Backward Classes other than the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and to provide for matters connected therewith or incidental thereto.

BE it enacted by Parliament in the Forty-fourth Year of the Republic of India as follows:-

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. *Short title, extent and commencement*— (1) This Act may be called the National Commission for Backward Classes Act, 1993.
 - (2) It extends to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir.
 - (3) It shall be deemed to have come into force on the 1st day of February, 1993.
2. *Definitions*.—In this Act, unless the context otherwise requires-
 - (a) “backward classes” means such backward classes of citizens other than the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes as may be specified by the Central Government in the lists;
 - (b) “Commission” means the National Commission for Backward Classes constituted under section 3;
 - (c) “lists” means lists prepared by the Government of India from time to time for purposes of making provision for the reservation of appointments or posts in favour of backward classes of citizens which, in the opinion of that Government, are not adequately represented in the services under the Government of India and any local or other authority within the territory of India or under the control of the Government of India;
 - (d) “Member” means a Member of the Commission and includes the Chairperson;
 - (e) “prescribed” means prescribed by rules made under this Act.

CHAPTER II

THE NATIONAL COMMISSION FOR BACKWARD CLASSES

3. *Constitution of National Commission for Backward Classes* .—(1) The Central Government shall constitute a body to be known as the National Commission for Backward Classes to exercise the powers conferred on, and to perform the functions assigned to, it under this Act.
- (2) The Commission shall consist of the following Members nominated by the Central Government :--
- (a) a Chairperson, who is or has been a Judge of the Supreme Court or of a High Court;
 - (b) a social scientist;
 - (c) two persons, who have special knowledge in matters relating to backward classes; and
 - (d) a Member-Secretary, who is or has been an officer of the Central Government in the rank of a Secretary to the Government of India.
4. *Term of office and conditions of service of Chairperson and Members* —(1) Every Member shall hold office for a term of three years from the date he assumes office.
- (2) A Member may, by writing under his hand addressed to the Central Government, resign from the office of Chairperson or, as the case may be, of Member at any time.
- (3) The Central Government shall remove a person from the office of Member if that person —
- (a) becomes an undischarged insolvent;
 - (b) is convicted and sentenced to imprisonment for an offence which, in the opinion of the Central Government, involves moral turpitude;
 - (c) becomes of unsound mind and stands so declared by a competent court;
 - (d) refuses to act or becomes incapable of acting;
 - (e) is, without obtaining leave of absence from the Commission, absent from three consecutive meetings of the Commission; or
 - (f) has, in the opinion of the Central Government, so abused the position of Chairperson or Member as to render that person's continuance in office detrimental to the interests of backward classes or the public interest.
- Provided that no person shall be removed under this clause until that person has been given an opportunity of being heard in the matter.
- (4) A vacancy caused under sub-section (2) or otherwise shall be filled by fresh nomination.
- (5) The salaries and allowances payable to, and the other terms and conditions of service of, the Chairperson and Members shall be such as may be prescribed.
5. *Officers and other employees of the Commission*—(1) The Central Government shall provide the Commission with such officers and employees as may be necessary for the efficient performance of the functions of the Commission.
- (2) The salaries and allowances payable to, and the other terms and conditions of service of, the officers and other employees appointed for the purpose of the Commission shall be such as may be prescribed.

6. *Salaries and allowances to be paid out of grants*—The salaries and allowances payable to the Chairperson and Members and the administrative expenses, including salaries, allowances and pensions payable to the officers and other employees referred to in section 5, shall be paid out of the grants referred to in sub-section (1) of section 12.
7. *Vacancies, etc., not to invalidate proceedings of the Commission*—No act or proceedings of the Commission shall be invalid on the ground merely of the existence of any vacancy or defect in the constitution of the Commission.
8. *Procedure to be regulated by the Commission*—(1) The Commission shall meet as and when necessary at such time and place as the Chairperson may think fit.
 - (2) The Commission shall regulate its own procedure.
 - (3) All orders and decisions of the Commission shall be authenticated by the Member-Secretary or any other officer of the Commission duly authorised by the Member-Secretary in this behalf.

CHAPTER III

FUNCTIONS AND POWERS OF THE COMMISSION

9. *Functions of the Commission*—(1) The Commission shall examine requests for inclusion of any class of citizens as a backward class in the lists and hear complaints of over-inclusion or under-inclusion of any backward class in such lists and tender such advice to the Central Government as it deems appropriate.
 - (2) The advice of the Commission shall ordinarily be binding upon the Central Government.
10. *Powers of the Commission*—The Commission shall, while performing its functions under subsection(1) of section 9, have all the powers of a civil court trying a suit and in particular, in respect of the following matters, namely:--
 - (a) summoning and enforcing the attendance of any person from any part of India and examining him on oath;
 - (b) requiring the discovery and production of any document;
 - (c) receiving evidence on affidavits;
 - (d) requisitioning any public record or copy thereof from any court of office;
 - (e) issuing commissions for the examination of witnesses and documents; and
 - (f) any other matter which may be prescribed.
11. *Periodic revision of lists by the Central Government*— (1) The Central Government may at any time, and shall, at the expiration of ten years from the coming into force of this Act and every succeeding period of ten years thereafter, undertake revision of the lists with a view to excluding from such lists those classes who have ceased to be backward classes or for including in such lists new backward classes.
 - (2) The Central Government shall, while undertaking any revision referred to in subsection (1), consult the Commission.

CHAPTER IV

FINANCE, ACCOUNTS AND AUDIT

12. *Grants by the Central Government*—(1) The Central Government shall, after due appropriation made by Parliament by law in this behalf, pay to the Commission by way of grants such sums of money as the Central Government may think fit for being utilised for the purposes of this Act.
- (2) The Commission may spend such sums as it thinks fit for performing the functions under this act, and such sums shall be treated as expenditure payable out of the grants referred to in sub-section(1).
13. *Accounts and audit*— (1) The Commission shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts in such form as may be prescribed by the Central Government in consultation with the Comptroller and Auditor-General of India.
- (2) The accounts of the Commission shall be audited by the Comptroller and Auditor-General at such intervals as may be specified by him and any expenditure incurred in connection with such audit shall be payable by the Commission to the Comptroller and Auditor-General.
- (3) The Comptroller and Auditor General and any person appointed by him in connection with the audit of the accounts of the Commission under this Act shall have the same rights and privileges and the authority in connection with such audit as the Comptroller and Auditor General generally has in connection with the audit of Government accounts and, in particular, shall have the right to demand the production of books, accounts, connected vouchers and other documents and papers and to inspect any of the offices of the Commission.
14. *Annual report*—The Commission shall prepare, in such form and at such time, for each financial year, as may be prescribed, its annual report giving a full account of its activities during the previous financial year and forward a copy thereof to the Central Government.
15. *Annual report and audit report to be laid before Parliament*—The Central Government shall cause the annual report, together with a memorandum of action taken on the advice tendered by the Commission under section 9 and the reasons for the non-acceptance, if any, of any such advice, and the audit report to be laid as soon as may be after they are received before each House of Parliament.

CHAPTER V

MISCELLANEOUS

16. *Chairperson, Members and employees of the Commission to be public servants*—The Chairperson, Members and employees of the Commission shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code (45 of 1860).
17. *Power to make rules*—(1) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the provisions of this Act.
- (2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:--
- (a) salaries and allowances payable to, and the other terms and conditions of service of, the Chairperson and Members under sub-section (5) of section 4 and the officers and other employees under sub-section (2) of section 5;
- (b) the form in which the annual statement of accounts shall be prepared under sub-section (1) of section 13;
- (c) the form in, and the time at, which the annual report shall be prepared under section 14;
- (d) any other matter which is required to be, or may be, prescribed.
- (3) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form to be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.
18. *Power to remove difficulties*—(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Central Government may, by order published in the Official Gazette, make provisions, not inconsistent with the provisions of this Act as appear to it to be necessary or expedient, for removing the difficulty;

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.

- (2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before each House of Parliament.

19. *Repeal and saving*—(1) The National Commission for Backward Classes Ordinance 1993 (Ord. 23 of 1993) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

K.L. MOHANPURIA
Secy. to the Govt. of India

MINISTRY OF WELFARE

New Delhi, the 13th February, 1996

G.S.R. 100(E)- In exercise of the powers conferred by sub section (2) (a) of Section 17 of National Commission for Backward Classes Act, 1993 (27 of 1993) the Central Government hereby makes the following rules, namely :-

1. Short title and commencement :- (1) These Rules may be called the National Commission for Backward Classes (Salaries and Allowances and other conditions of Service of Chairperson and Members) Rules, 1996.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions - In these rules unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the National Commission for Backward Classes Act, 1993 (27 of 1993);

(b) "Commission" means the National Commission for Backward Classes.

(b) "Chairperson" means the Chairperson of the Commission nominated under Sub-Section (2) (a) Section 3 of the Act.

(d) "Member" means a Member of the Commission and includes the Chairperson.

(e) The words and expressions used herein but not defined shall have the same meaning assigned to them in the Act.

3. Salaries and allowances :- (1) The Chairperson shall be entitled to such pay as admissible to a judge of the Supreme Court or a High Court depending upon the office earlier held by such Chairperson.

(2) Every Member other than the Chairperson shall be entitled to such pay as are admissible to a Secretary to the Government of India.

4. Rank and status :- The Chairperson shall have the rank of a judge of the Supreme Court or of a High Court as relevant to his case depending upon the office earlier held by him. The other Members shall have the status of a Secretary to the Government of India.

5. Sumptuary allowance:- The Chairperson shall be entitled to a sumptuary allowance as per the entitlement of sitting judge of a High Court as revised from time to time.

6. Retirement from parent service on appointment as Member. – The Members who on the date of his appointment to the Commission was in the service of the Central or a State Government, shall be deemed to have retired from such service with effect from the date of his appointment as Member of the Commission.

7. Leave:- The Chairperson and every Member shall be entitled to leave as follows-

a) Earned Leave, half pay leave and commuted leave in accordance with the Central Civil Service (Leave) Rules, 1972 as amended from time to time.

b) Extraordinary leave as admissible to the temporary Government servants under the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972 as amended from time to time.

8. Pension :- (1) The Chairperson or a Member who, at the time of his appointment as such was in the service of the Central or State Government, shall at his option to be exercised within a period of six months from the date of his appointment or till he attains the age of superannuation, whichever is earlier, be entitled to his pension and other retirement benefits as per the rules applicable to the service to which he belonged with effect from the date of his appointment as Chairperson or Member (as the case may be) provided that, in such an event, his pay as Chairperson or Member shall be reduced by an amount equivalent to the gross pension including any portion of the pension which may have been commuted and the pension equivalent of other retirement benefits and he shall be entitled to draw his pension and other retirement benefits separately.
- (2) The Chairperson or a Member, who at the time of his appointment as such was in the service of the Central or State Governments, if he does not exercise the option specified in sub-rule (1), shall count his service as Chairperson or Member for pension and retirement benefits under the rules applicable to the service to which he belonged immediately before such appointment.
- (3) No pension shall be payable to the Chairperson or a Member who immediately before assuming office as the Chairperson or a Member, was not in any service of the Central or State Government.
9. Provident Fund :- (1) The Chairperson or a Member who on the date of his appointment to the Commission was in the service of the Central or State Government and who had been admitted to the benefits of General Provident Fund or Contributory Provident Fund, may continue to subscribe to that Fund until the date on which he retires according to rules applicable to him in his service. In the case of the Contributory Provident Fund, the employers' contribution payable to that Fund shall, as from the date of the Chairperson or Member's appointment to the Commission be payable by the Commission on the basis of the emoluments which he would have drawn in the post be held immediately before appointment.

Explanations: Member exercising his option under this sub-rule shall Communicate his option in writing to the Central Government within six months of his appointment and option so exercised shall be final.

- (2)¹ the Chairperson or a Member who, at the time of his appointment as such Member,-
- (i) was in service of the Central or State Government and had opted to draw his pension and other retirement benefits under the rules applicable to the service to which he belonged prior to such appointment; or
- (ii) had retired from service under the Central or State Government, a local body or other authority wholly or substantially owned or controlled by the Government; or
- (iii) was not in service of the Central or State Government or a local body or any other authority wholly or substantially owned by the Government;

shall be entitled to be admitted to the benefit of the New Pension Scheme introduced by the Ministry of Finance (Department of Expenditure) vide O.M.No.I(T)(2)/2003/TA/19, dated the 14th January, 2004 and 4th February, 2004.

10. Residuary Provision :- (1) The conditions of service of to Chairperson for which no express provision has been made in these rules shall be;-

- a) In the case of sitting judge of the Supreme Court or a High Court appointed as Chairperson, the same as admissible to a sitting judge of the Supreme Court or a High Court, as the case may be; and
 - b) In the case of a retired judge of the Supreme Court or High Court appointed as Chairperson, the same as those admissible under the Government's instructions relation to fixation of pay and other terms admissible to retired judges on their appointment to Commissions/Committees of Enquiry as amended from time to time.
2. The conditions of service of the Members for which no express provision has been made in these rules shall be as those applicable to a Secretary to the Government of India from time to time.

(N 12011/62/93-BCC)

(DR. M.S. AHMED)

Joint Secretary to the Govt. of India

¹(Amended vide the National Commission for Backward Classes (Salaries and Allowances and other condition of Service of Chairperson and Members) Amendment Rules, 2013 published in Gazette of India vide number GSR 734 (E) File No. 12015/10/2010-BC-II dated 12.11.2013)

National Commission for Backward Classes (Power to Review Advice) Rules, 2011.

(the 3rd May, 2011)

G.S.R. 360(E).- In exercise of the powers conferred by Clause (f) of Section 10, read with Section 17 of the National Commission for Backward Classes Act, 1993 (27 of 1993), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement-

- (1) These rules may be called the National Commission for Backward Classes (Power to Review Advice) Rules, 2011.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires-

- (a) "Act" means the National Commission for Backward Classes Act, 1993 (27 of 1993);
- (b) "Commission" means the National Commission for Backward Classes;
- (c) "review" means a review undertaken in pursuance of rule 3 of these rules;
- (d) words and expressions used herein but not defined shall have the meaning assigned to them in the Act,

4. Power to review advice tendered to the Central Government- Without prejudice to the generality of the provision of Section 10, the Commission shall also have the power to review an advice tendered to the Central Government under sub-section (1) Section 9.

5. Applicability of certain provisions of the Code of Civil Procedure, 1908, to review- Provisions of Section 114 and Order XLVII of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), shall, mutatis mutandis, apply to a review undertaken by the Commission.

[F.NO.12011/9/2007-BCC]

P.P.Mitra, Jt. Secy.